

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 819]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2016/चैत्र 16, 1938

No. 819]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2016/CHAITRA 16, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2016

का.आ. 1310(अ).—इस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 88(आ) तथा अधिसूचना का.आ. 89(आ) दिनांक 11 जनवरी, 2016 जो भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में दिनांक 12 जनवरी, 2016 को प्रकाशित हुई थी, के क्रम में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि वास्तुविद अधिनियम, 1972 (1972 का 20) की धारा 3 की उप-धारा 3 के खंड (ग) के अंतर्गत वास्तुकला परिषद के पांच सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) तथा धारा 10 की उपधारा (2) के अंतर्गत क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वास्तुकला परिषद की कार्यकारी समिति के पांच सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया 11 जनवरी, 2016 की अधिसूचना की तारीख से क्रमशः 100 दिनों तथा 150 दिनों की अवधि के भीतर निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्पन्न कर ली जाएगी।

[फा. सं. 4-15/2015/टीएस.VI]

बी. के. भट्टी, सहायक शैक्षिक सलाहकार (डीएल)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(Department of Higher Education)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2016

S.O. 1310(E).—In continuation of this Ministry's notification S.O. 88(E) and notification S.O. 89(E) dated 11th January, 2016 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii) dated 12th January, 2016, the Central Government hereby notifies that the election process to elect five members of the Council of Architecture under clause (c) of sub-section (3) of section 3 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972) and for the offices of President, Vice President and Five members of the Executive Committee of the Council of Architecture under sub-section (1) of section 4 & under sub-section (2) of section 10 of the said Act respectively, shall be completed by the Returning Officer within a period of 100 days and 150 days respectively from the date of notifications i.e. 11th January, 2016.

[F. No. 4-15/2015-TS.VI]

B. K. BHADRI, Asstt. Educational Adviser (DL)